चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन



जाइडस लाइफसाइंसेज



यूएसएफडीए ने वडोदरा की इंजेक्टेबल विनिर्माण इकाई के लिए 10 टिप्पणियां जारी कीं

_173.2

जीपीटी इन्फ्राप्रोजेक्ट्स मुंबई की मध्य रेलवे से 487 करोड़ रुपये का ऑर्डर

₹ 171.3 पिछला बंद भाव ₹ 188.0 आज का बंद भाव

ऑलकार्गो लॉजिस्टिक्स







पेयू को 'पेमेंट एग्रीगेटर' की सैद्धांतिक मंजूरी

वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी पेयु को भारतीय रिजर्व बैंक मंजूरी मिली है। कंपनी ने बुधवार को यह कहा। 'पेमेंट एग्रीगेटर' एक तृतीय-पक्ष सेवा प्रदाता है, जो ग्राहकों और कारोबारियों को भुगतान को लेकर एक मंच पर लाता है। यह ग्राहकों को ऑनलाइन भुगतान करने और कारोबारियों को भूगतान स्वीकार करने में सक्षम बनाता है। आरबीआई ने जनवरी 2023 में प्रोसस ग्रुप की कंपनी पेयु के 'पेमेंट एग्रीगेटर' को लेकर जमा आवेदन वापस कर दिए थे और उन्हें 120 दिनों के भीतर फिर से जमा करने को कहा था। पेयु सैद्धांतिक मंजूरी के साथ अब नये कारोबारियों को डिजिटल भुगतान सेवाएं प्रदान करने के लिए अपने साथ जोड़ सकती है। पेयू के मुख्य कार्य अधिकारी अनिर्बान मुखर्जी ने कहा, 'यह लाइसेंस भारत में वैश्विक स्तर पर चर्चित डिजिटल भुगतान बुनियादी ढांचा स्थापित करने के हमारे लक्ष्य के लिए महत्वपूर्ण है। सरकार की डिजिटल इंडिया पहल और आरबीआई के दरदर्शी नियमों के अनुरूप, हम विशेष रूप से छोटे कारोबारियों के लिए डिजिटलीकरण और वित्तीय समावेश को बढावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।'

'आईटी क्षेत्र में दूसरे साल भी राजस्व वृद्धि में कमी'

भारतीय आईटी सेवा क्षेत्र में लगातार दूसरे साल राजस्व वृद्धि में नरमी देखी जा रही है। एक घरेलू रेटिंग एजेंसी ने बुधवार को कहा कि यूरोप और अमेरिका में प्रौद्योगिकी मद में खर्च में मामूली वृद्धि हुई है, जिसके कारण घरेलू आईटी सेवा कंपनियों का राजस्व में वृद्धि में नरमी है। क्रिसिल रेटिंग्स ने कहा कि उसे उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2024-25 में यह क्षेत्र 5-7 प्रतिशत की दर से बढ़ेगा, जबकि वित्त वर्ष 2023-24 में छह प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस उद्योग का कुल आकार 250 अरब अमेरिकी डॉलर आंका गया है और यह 50 लाख से अधिक प्रत्यक्ष रूप से रोजगार देता है। क्रिसिल के निदेशक आदित्य झावर ने कहा कि चाल वित्त वर्ष में भी प्रौद्योगिकी खर्च में नरमी जारी रहेगी।



₹ 959.6 पिछला बंद भाव ₹ 933.4 आज का बंद भाव

76.5 मार्च में एलसीएल मात्रा पिछले





संक्षेप में

से 'पेमेंट एग्रीगेटर' के रूप में काम करने की सैद्धांतिक

एलटीआईमाइंडट्री का लाभ मामूली घटा

शिवानी शिंदे मुंबई, 24 अप्रैल

•ईटी सेवा दिग्गज एलटीआई माइंडट्री का शुद्ध लाभ मार्च में समाप्त तिमाही में सालाना आधार पर 1.2 फीसदी की गिरावट के साथ 1,100 करोड़ रुपये रह गया। यह पिछले साल की इस अवधि में 1.141 करोड़ रुपये रहा था।तिमाही में कंपनी का राजस्व सालाना आधार पर 2.3 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 8,892.9 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। क्रमिक आधार पर राजस्व 1.4 फीसदी घट गया।

कंपनी का चौथी तिमाही का प्रदर्शन ब्लमबर्ग के अनमान पर खरा नहीं उतर पाया। ब्लुमबर्ग ने चौथी तिमाही में 89,751 करोड़ रुपये के राजस्व और 1,154 करोड़ रुपये के लाभ का अनुमान जताया था। पूरे साल के लिए कंपनी का शुद्ध लाभ 4 फीसदी बढ़कर 4,584 करोड़ रुपये और राजस्व 7 फीसदी बढ़कर 35,517 करोड़ रुपये रहा। अमेरिकी डॉलर के लिहाज से राजस्व 4.3 अरब डॉलर पर पहुंच गया। अन्य आईटी फर्मों की तरह एलटीआईमाइंडटी ने भी काफी सौदे हासिल किए। कंपनी का ऑर्डर प्रवाह सालाना आधार पर 15.7 फीसदी बढ़कर 5.6 अरब डॉलर रहा। प्रबंधन ने यह भी कहा कि उन्होंने 30 नए क्लाइंट जोड़े जिनमें नौ फॉर्चून 500 फर्म शामिल हैं।

मांग के परिदृश्य पर प्रबंधन ने कहा कि फर्म को वित्त वर्ष 25 की पहली तिमाही में वृद्धि दर्ज करने की उम्मीद है। कंपनी के सीईओ और एमडी देवाशिष चटर्जी ने कहा कि हम क्लाइंटों के बीच सतर्कता देख रहे हैं और यह बताना अभी मुश्किल होगा कि वित्त वर्ष 25 कैसा रहेगा लेकिन हमें भरोसा है कि पहली तिमाही में हम वृद्धि दर्ज करेंगे।

कंपनी ने कहा कि चौथी तिमाही के प्रदर्शन पर ज्यादा छुट्टियों और बीएफएसआई सेगमेंट में दो सौदों के रद्द होने का असर पड़ा।



एयू स्मॉल फाइनैंस बैंक का मुनाफा घटा

अंजलि कुमारी मुंबई, 24 अप्रैल

एयु स्मॉल फाइनैंस बैंक का शुद्ध लाभ मार्च 2024 में समाप्त तिमाही में 12.69 फीसदी की गिरावट के साथ 370.73 करोड़ रुपये रह गया जो पिछले साल की समान अवधि में 424.6 करोड़ रुपये था। मुख्य रूप से प्रावधान में बढ़ोतरी से बैंक का मुनाफा घटा। क्रमिक आधार पर शुद्ध लाभ 1.19 फीसदी कम रहा। ये आंकड़े तुलनायोग्य नहीं हैं क्योंकि फिनकेयर एसएफबी का जनवरी-मार्च तिमाही में एयू एसएफबी के साथ विलय हो गया।

तिमाही में बैंक का प्रावधान 224 फीसदी बढ़कर 132.5 करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जो पिछले साल 40.8 करोड़ रुपये रहा था। बैंक की शुद्ध ब्याज आय सालाना आधार पर 10 फीसदी बढ़कर 1,337 करोड़ रुपये रही जबकि अन्य आय 66.8 फीसदी के इजाफे के साथ 555.6 करोड़ रुपये पर पहुंच गई।

चौथी तिमाही में मार्जिन 14.7 फीसदी रहा जो इससे पहले की तिमाही में 15.4 फीसदी रहा था। कंपनी के कुल कर्मचारियों की संख्या 81,650 रही। चौथी तिमाही में नौकरी छोड़ने वालों की दर मामूली बढ़कर 14.4 फीसदी हो गई जो तीसरी तिमाही में 14.2 फीसदी रही थी। तिमाही में कंपनी ने 500 फ्रेशर्स की नियुक्ति की।

डीसीबी का शुद्ध लाभ 9 फीसदी बढ़ा

अभिजित लेले मुंबई, 24 अप्रैल

निजी क्षेत्र के डीसीबी बैंक का शुद्ध लाभ मार्च में समाप्त तिमाही में सालाना आधार पर 9 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 156 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। शुद्ध ब्याज आय में बढ़ोतरी और प्रावधान में नरमी से लाभ को सहारा मिला। क्रमिक आधार पर बैंक का लाभ 23 फीसदी बढ़ा जो दिसंबर तिमाही में 127 करोड़ रुपये रहा था। बैंक का शेयर बीएसई पर 10.27 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 136.45 रुपये पर बंद हुआ।

सालाना प्रदर्शन की बात करें तो शद्ध लाभ 15 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 536 करोड़ रुपये पर पहुंच गया जो इससे पिछले वित्त वर्ष में 466 करोड़ रुपये रहा था। मार्च 2024 के आखिर में बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 16.59 फीसदी रहा जबकि टियर-1 14.53 फीसदी।

बैंक ने बीएसई को बताया कि निदेशक मंडल ने बुधवार को 500 करोड़ रुपये तक जुटाने के प्रस्ताव को मंजुरी दी जो इक्विटी शेयर या परिवर्तनीय प्रतिभूतियों के जरिये जुटाए जाएंगे, लेकिन यह शेयरधारकों की मंजुरी पर निर्भर करेगा।

बैंक की शुद्ध ब्याज आय चार फीसदी बढ़कर 508 करोड़ रुपये पर पहुंच गई जो पिछले साल की समान अवधि में 486 करोड़ रुपये थी। क्रमिक आधार पर शुद्ध ब्याज आय सात फीसदी बढ़ी। बैंक का शुद्ध ब्याज मार्जिन सिकुड़कर 3.62 फीसदी रह गयाजो पिछले साल की समान अवधि में 4.18 फीसदी रहा था। बैंक ने कहा है कि वित्त वर्ष 25 में शुद्ध ब्याज मार्जिन करीब 3.65 फीसदी रहने का अनुमान है।

निप्पॉन लाइफ एएमसी का लाभ ७३ प्रतिशत बढ़ा

बीएस संवाददाता नई दिल्ली, 24 अप्रैल

निप्पॉन लाइफ इंडिया ऐसेट मैनेजमेंट ने वित्त वर्ष 24 की चौथी तिमाही के लाभ में पिछले साल की तुलना में 73 प्रतिशत का इजाफा दर्ज किया है और यह बढ़कर 343 करोड़ रुपये हो गया है। वित्त वर्ष 24 में शुद्ध लाभ 1,106 करोड़ रुपये रहा जो वित्त वर्ष 23 के लाभ से 53 प्रतिशत अधिक है। चौथी तिमाही में परिचालन राजस्व 34 प्रतिशत बढकर 468 करोड रुपये हो गया। पुरे वित्त वर्ष के दौरान यह 22 प्रतिशत बढ़कर 1,643 करोड़ रुपये हो गया। इस तिमाही में कुल आय पिछले साल की तुलना में 45 प्रतिशत बढ़ी और वित्त वर्ष 24 के दौरान इसमें 34 प्रतिशत का इजाफा हुआ।

कंपनी ने विज्ञप्ति में कहा कि वित्त वर्ष 24 के आखिर में उसकी प्रबंधनाधीन परिसंपत्ति (एयूएम) 5.24 लाख करोड़ रुपये रहीं। 31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही में निप्पॉन इंडिया म्युचुअल फंड (एनआईएमएफ) की औसत एयूएम 4.31 लाख करोड रुपये रही जो पिछले साल के मकाबले 47 प्रतिशत अधिक है। कंपनी के मुताबिक उसके म्युचुअल फंड के एयूएम में खुदरा निवेशकों की हिस्सेदारी 30 प्रतिशत है। कंपनी का कहना है कि 'बियॉन्ड द टॉप 30 शहरों' (बी-30) से एनआईएमएफ का एयूएम 86,200 करोड़ रुपये रहा जो पिछली तिमाही की तुलना में नौ प्रतिशत का इजाफा है। यह एनआईएमएफ के एयूएम का 19.5 प्रतिशत है जबकि उद्योग के मामले में यह 17.9 प्रतिशत है।

इस बीच कंपनी के निदेशक मंडल ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए 11 रुपये प्रति शेयर के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है। इसके साथ, 2023-24 के लिए कुल लाभांश 16.50 रुपये प्रति शेयर हो गया जिसमें नवंबर 2023 में वितरित 5.50 रुपये का अंतरिम लाभांश भी शामिल है।

OLD BRIDG

Notice is hereby given that in accordance with Regulation 59A of SEBI (Mutual Funds) Regulation 1996 read with Paragraph 5.1 of SEBI Master Circular dated May 19, 2023, the unit holders of all the Scheme(s) of Old Bridge Mutual Fund ('Fund') are requested to note that the half yearly portfolio of all the Scheme(s) of the Fund for the half year ended March 31, 2024, are hosted on the website www.oldbridgemf.com and www.amfiindia.com. The unit holders can submit a request for a physical or www.anninda.com. The unit holders can submit a request of a physical of electronic copy of the statement of scheme portfolio of the Fund at free of cost either through Short Messaging Services SMS HYPORT OBM> to 9212993399/Telephone — 1800 - 3094 - 034 / Email - services@oldbridgemf.com/ / writing to Old Bridge Asset Management

For Old Bridge Asset Management Private Limited (Investment Manager for Old Bridge Mutual Fund)

Date: April 24, 2024 Place: Mumbai

Authorised Signatory

MUTUAL FUND INVESTMENTS ARE SUBJECT TO MARKET RISKS, READ ALL SCHEME RELATED DOCUMENTS CAREFULLY

CIN - U67120MH2022PTC394844 Old Bridge Asset Management Pvt. Ltd.

1705, C Wing, One BKC, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai - 400051 Tel: +91 22 69459999

Complex, Bandra East, Mumbai - 400051.

टाटा कैपिटल लिमिटेड 11वीं मंजिल, टॉवर ए, पेनिनसूला बिजनेस पार्क, सेनापति बापत मार्ग, लॉअर परेल TATA मुर्बेई—400013 शाखा कार्योः 9/11, सूरज भवन, दूसरी मंजिल, यस बैंक के ऊपर, एम.जी. रोड, इंदौर 452001 वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन

अधिनियम, 2002 कें। धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचेना

चूंकि, दिनांक 24 नवंबर, 2023 के आदेश के तहत, नेशनल कंपनी लों ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) मुंबई ने कंपनी अधिनियम, 2013 (''उक्त योजना') की धारा 66 और अन्य लागू प्रावधानों के तहत धारा 230 से 232 के प्रावधानों के तहत हस्तांतरणकर्ता के रूप में टाटा कैंपिटल फाइनेशियल सर्विसेज लिमिटेड (''टीसीएफएसएल') और हस्तांतरिती के रूप में टाटा कैंपिटल लिमिटेड (''टीसीएल') के बीच अनुबंध की ("टासाएफएसएल") आर हस्तातारती के रूप मंद्रादों कांपटल ।लाभटड । दासाएल । कृ बाव अनुबंध का योजना की विधिवत स्वीकृति दी है। इसके संबंध में, दीसीएफएसएएल, हिस्तांतराफवर्ता कंपनी। ने अपने दायित्वों के सिहत प्रभाव तिथि अर्थात् 1 जनवरी, 2024 से हस्तांतिरती कंपनी के साथ मिला दिए हैं। वृक्ति प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के तहत प्रदत्त स्वोक्तायों के अनुपावन और वित्तीय परिस्पतित्यों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभृति वित्र प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंत्रर्गत ट्राटा कैंपिटल लि. के प्राधिकृत अधिकारी मौजूदा अधोहस्ताक्षरी ने प्रावधाना के लिए आमात्रत हैं जिसके तहते आप सीवजानक ने निलाम, मेर आमात्रत कर, सीवजानक निविदा या निजी समझौत के हारा प्रविन्नितित परिसंपत्ति(यों) की बिक्री के लिए सुचना के प्रकाशन की तिथि केवल सभी लागतों, शुल्कों और टीसीएल द्वारा व्ययों के साथ बकाया देयों की पूरी राशि टेंडर कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि यदि लागत, शुल्क औरर टीसीएल द्वारा व्यय राशि के साथ देय बकाया पूरी राशि सार्वजीनेक नीलाम, मद आमंत्रित कर, सार्वजनिक निविदा या निजी समझौते के द्वारा प्रतिभूतित परिसंपत्ति(यों) की बिक्री के लिए सुचना के प्रकाशन से पहले टेंडर नहीं की जाती है, आप प्रतिभृतित परिसंपत्ति(यों) को बिक्री के हक्यर नहीं होंगे। कोई व्यक्ति जो अधिनयम के प्रावधानों या उसकेतहत

बने नियमों का उल्लंघन या विरोध करता है वह अधिनियम के तहत प्रदान किए गए अनुसार कारावास और / या जुर्माने का हकदार होगा।					
ऋण खाता सं.	बाध्यकारी(ओं) / कानूनी वारिस(ओं) / कानूनी प्रतिनिधि(ओं) के नामं	मांग सूचना की राशि	एनपीए तिथि		
7008796	1. श्री अमिताम कृषादेव शर्मा, 2. श्रीमती वंदना अमिताम शर्मा 3. सोनम हिमांशु शर्मा (स्वर्गीय श्री हिमांशु अमिताम शर्मा के कानूनी वारिस) 4. गोनिका हिमांशु शर्मा (स्वर्गीय श्री हिमांशु अमिताम शर्मा के कानूनी वारिस) 5. अमित इंजीनियरिंग एकियुपमेंट्स इसके मालिक श्री अमिताम कृषादेव शर्मा के माध्यम से पता: 90, गांधी पाक, राडियो कॉलोनी, इंदौर, मध्य प्रदेश, 452001, अन्य पता: प्लॉट / मकान नं, 82, न्यू प्लॉट नं, 91, गांधी पार्क, राडियो कॉलोनी, इंदौर, म.प्र. 452001	रू. 1,53,61,063 / — (रु. एक करोड़ विरपन लाख इक्सठ हजार विरसठ केवल) ऋण खाता सं. 7008796 20.03.2024 तक मांग सूचना की तिथि: 20 मार्च, 2024	07 नवंबर, 2020		

प्रतिभृतित परिसंपत्ति का विवरण : प्लॉट / मकान नं. 82, (न्यू प्लॉट / मकान नं. 91), गांधी पार्क, राडियो कॉलोनी, इंदौर, मध्य प्रदेश, 452001 के सभी भाग व पार्सल क्षेत्र माप 1500 वर्ग फुट उसपर खड़े निर्माण के सहित, जिसकी सीमाएं निम्नानुसार है : पूर्व : कॉलोनी रोड, पश्चिम : बैंक लेन, दक्षिण : प्लॉट / मकान नं. 83, उत्तर : प्लॉट / मकान नं. 81

ें हस्ता. / — प्राधिकृत अधिकारी टाटा कैंपिटल लिमिटेड के लिए दिनांक : 25.अप्रैल, 2024 स्थान : इंदौर, मध्य प्रदेश

स्वास्थ्य सचिव ने ओपीवी विनिर्माता बिल्थोवेन के डच संयंत्र का दौरा कियाः केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने बुधवार को ओरल पोलियो वैक्सीन (ओपीवी) की सुरक्षित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नीदरलैंड के यूट्रेक्ट में बिल्थोवेन बायोलॉजिकल्स के विनिर्माण संयंत्र का दौरा किया। यह पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की इकाई है जो यह वैक्सीन तैयार करती है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बयान जारी कर रहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा ने युरोपीय संघ की महामारी तैयारी साझेदारी और टीकों के उत्पादन पर सहयोग के लिए बिल्थोवेन के मुख्य कार्य अधिकारी जुएगर्न क्विक और पुनावाला साइंस पार्क (पीएसपी) के मुख्य कार्य अधिकारी जेफ डी क्लर्क के साथ बैठक की। भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए इंजेक्टेबल इनएक्टिवेटेड पोलियोमाइलाइटिस वैक्सीन (आईपीवी) की आपूर्ति को लेकर चिंताएं बढ़ने के बाद स्वास्थ्य सचिव की यात्रा महत्त्वपूर्ण है। बीएस

मुथुट हाउसिंग फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : टीसी सं. 14/2074-7, मुथुट सेन्टर, पुन्नेन रोड़, थिरूवंतपुरम-695 034, CIN No - U65922KL2010PLC025624, कोपेरेट कार्यालय : 12/ए 01, 13वां तल, परिनी क्रिसे और सी39, बांद्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स—जी ब्लॉक (ईस्ट), मुंबई—400051 फोन नं. 022—62728517, प्राधिकृत अधिकारी ईमेल आई डी : authorised.officer@muthoot.com, संपर्क व्यक्ति:— अंकित गोयल–7008254155

सार्वजनिक सूचना – संपत्ति की नीलामी सह बिक्री

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम्, 2002 में निहित शक्तियों का प्रयोग कर मैसर्स मुथुट हार्ऊसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (यहाँ आगे ''कंपनी'' कहा गया है) के प्राधिकृत अधिकारी ने अधोल्लिखत संपत्तियों (यहाँ आगे ''प्रत्याभूत परिसंपत्ति'' कहा गया है) का कब्जा ले लिया और अधोल्लिखित ग्राहको (यहाँ आगे कर्जदार) 'का गया है) को दी गई आवास ऋण सुविधाओं के संबंध में बतौर प्रतिभूति रखी हैं और कर्जदारों से नीचे उल्लिखित प्रत्याभूत ऋण और अतिदेय राशि के पूर्ण भुगतान तक आगे की ब्याज व व्ययों के संबंध जनता से मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित कर ''जो है, जहाँ है, ''जहाँ है, जैसी है'', जो भी है'' और ''कोई वापसी नहीं'' आधार/शर्तों पर प्रत्याभृत परिसंपत्ति की बिक्री करने का निर्णय लिया है।

क. सं.		और दिनांक	कुल बकाया सारा (रू. <i>)</i> लागू भविष्य ब्याज	आराक्षत मूल्य (रु.)	इ.एम.डा. (रू.)
	ऋण खाता सं. 18101093331और 18101111041 1. मोहम्मद आसिफ उर्फ आशिफ मोहम्मद रियाज उर्फ मोहम्मद आसिफ मो. रियाज 2. नूरजहां उर्प नूराजहा, 3. मोहम्मद रियाज उर्फ मोहम्मद रियाज, 4. मों म्मद राशिद, 5. मोहम्मद अंसारी ग्रारंटर)			रूपये 16,00,000/–	रूपये 1,60,000/–

प्रत्याभूत परिसंपत्ति(यों) अचल संपत्ति(यों) का विवरण: संपत्ति धारक खसरा सं. 78/1 और 79/2/3, ग्राम हिनौतिया काछियान, पी.एच. सं. 2 विकास खण्ड फदा , तहसील हुजुर, जिला भोपाल, नगर पालिका वार्ड सं. 35, भोपाल सिटी, कुल मापक क्षेत्र 15 x 30 = 450 वर्ग फुट यानी 4 1.82 वर्ग मीटर जिस पर ति माकन निर्मित है का संपूर्ण व सर्वांगीण भाग। सीमांकन: पूर्व : सड़क, पश्चिम: अन्य संपत्ति , उत्तर: प्लॉट सं. 15 का भाग, दक्षिण:

निरीक्षण की दिनांक और समय : 09 मर्ड 2024 और 10 मर्ड 2024 पर्वाह्न 10 बजे से 05 बजे नीलामी दिनांक : 30 मई, 2024, 10.00 बजे से 03 बजे तक, बोली जमा करने की अंतिम दिनांक: 29 मई, 2024 बिक्री का स्थान: प्लॉट सं. 61, जोन–2, एम. पी. नगर, एक्सीस बैंक लोन सेंटर के पीछे, भोपाल–462011

इच्छुक निविदाकार उपरोक्त तिथि व समय पर संपत्तियों का निरीक्षण कर सकते हैं। सार्वजनिक नीलामी के नियम व शर्तें :— (1) बिक्री सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार यहाँ उल्लिखत नियम व शर्तों के अधीन है और इच्छुक निविदाकारों द्वारा जमा किए जाने वाले प्रस्ताव/निविदा दस्तावेज में उल्लिखत नियम व शर्तों के भी तहत होगी। (2) संपत्ति ''जो है, जहाँ है, ''जहाँ है, जैसी है'', 'जो भी है'' और''कोई वापसी नहीं'' शर्त पर भार यदि कोई हो सहित बेची जायेगी। (३) नीलामी के तहत संपत्तियों का ऊपर निर्दिष्ट दिनांक और समय पर निरीक्षण कि जा सकता है। संपत्तियों के निरीक्षण या निविदाएं प्रस्तुत करने के संबंध में किसी भी प्रश्न के लिए, कृपया उपरोक्त उल्लेखित संपर्क नंबरों पर संबंधित स्थआनों पर प्राधिकृत अधिकारियों से संपर्क स्थापित करें । इच्छुक खरीदार उपर्युक्त संपत्ति हेतु घरोहर राशि जमा (ईएमडी) आरक्षित मृल्य का 10 % के लिए ''मुथुट हाऊिसंग फाइनेंस कंपने लिमिटेड'' के पक्ष में देय और मुंबई में आहरणीय डिमांड ड्राफ्ट के साथ मुहरबंद लिफाफे में अपने प्रस्ताव नीलामी की तिथि से पूर्व किसी कार्य दिवस में प्राधिकृत अधिकारी के उपरोक्त कार्यालय में भेज सकते हैं। (4) प्रस्ताव दस्तावेंज के साथ इच्छुक निविदाकार को आवकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड और निविदाकार की पहचान और आवास प्रमाण जैसे पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाईसेंस आदि की प्रति भी संलग्न करनी होगी।(5) किसी भी स्थित में संपत्ति आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेची जायेगी। (६) नीलामी में उपस्थित निविदाकारों को आरक्षित मृत्य से अतिरिक्त रु. 1000/— के गुणक में अपने प्रस्ताव बढ़ाने की अनुमति होगी। (७) उक्त संपत्तियों के संबंध में सभी देय और निर्गमन अर्थात स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण प्रभार हस्तांतरण शुल्क और बिक्री प्रमाणपत्र पंजीकरण के संबंध में अन्य सभी व्यय व प्रभार महित नगरपालिका कर रखरखाव/सोसाइटी प्रभार बिजली और जल कर या अन्य कर सफल निविदाकार/खरीदार दारा वहन किए जायेंगे। (8) सफल निविदाकार/खरीदार को बिक्री के संबंध में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रस्ताव की स्वीकृति से अगले दिन के अंदर खरीद राशि की 25% (पूर्व में भुगतान ई.एम.डी. का 10 % को समायोजित करते हुए) शिश का भुगतान करना होगा, अन्यथा जमा धरोहर राशि जलत हो जायेगी। (९) बिक्री मृत्य की शेष 75% राशि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सफल खरीदार को बिक्री की पुष्टि होने से 15 दिन के अंदर या प्राधिकृत अधिकारी के विवेक से लिखित में सहमत ऐसी किसी अवधि के अंदर जमा करनी होगी।(10) प्राधिकृत अधिकारी को अपने विवेक से बिना किसी पूर्व सूचना के नीलामी के लिए इस सूचना के किसी नियम व शर्ते को बदलने का अधिकार होगा।(1) प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण दिए किसी भी / सभी बोलियों कोअस्वीकार करने का अधिकार युरक्षित रखता है। संबंधित बोलीदाताओं से प्राप्त सभी बोलियों मैसर्स मुथ्ट हाऊसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के विरुद्ध बिना किसी दायित्व/दावे के उनहें लौटा दी जायेंगी। (12) कर्जदार का ध्यान प्रत्याभूत परिसंपत्ति को धुड़ाने क लिए उपलब्ध समय के संबंध ² सरफैसी अधिनयम की धारा 13 की उप धारा 8 के प्रवधानों की ओर आकर्षित किया जाता है। (13) सामन्य रूप से जनता और विशेष रूप से कर्जदार(सें)/ बंधककर्ता(ओं) कृप्या ध्यान दें कि .दि .ह निर्धारित नीलामी विफल हो जाती है तो प्रत्याभृत ऋणदाता निजी संधि के म ।ध्यम से प्रत्याभृत हित को प्रवर्तीत कर सकता है। कर्जवार (रो), बंधककर्ता (ओ)को एतदब्रारा सरफैसी अधिनियम के प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमों के नियम 8(६) और 9 के तहत सांविधिक 30 दिनों की सूचना दी जाती है। कर्जवार/रों से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे 30 दिनों के भीतर संपत्ति से अपने अप्रभारित सामान को हटा लें अन्यथा इसे उनके जोखिम और लागत पर

स्थान : : मध्य प्रदेश, दिनांक: 25 अप्रैल, 2024

हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी, प्रति मुथुट हाउसिंग फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड

सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की शर्तों को अगले कुछ हफ्तों में अंतिम रूप देगा दूरसंचार विभाग

शुभायन चक्रवर्ती नई दिल्ली, 24 अप्रैल

दुरसंचार विभाग अगले कुछ हफ्तों सैटेलाइट स्पेक्टरम के प्रशासनिक आवंटन के लिए संदर्श की शर्तों (टीओआर) को अंतिम रूप देगा। सरकार के वरिष्ठ सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

सैटेलाइट स्पेकटम के लिए स्पेकट्रम आवंटन रूट को अनिवार्य बनाने वाले दरसंचार विधेयक के नियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा शर्तों की जानकारी रहेगी।

स्पेक्टम आवंटन पर दोबारा परामर्श लेगा ट्राई

इस मसले पर पुराना परामर्श खत्म हो गया है। दुरसंचार विभाग द्वारा टीओआर देने के बाद टाई इस मसले पर नए सिरे से विचार-विमर्श शुरू उपयोग की जाने वाली फ्रिक्वेंसी, स्पेक्टम की कीमत और राष्ट्रीय

सैटेलाइट अथवा ऑरबिट रेडियो स्पेकट्रम का एक खंड है जो तब उपलब्ध होता है जब सैटेलाइट को ऑरबिट में स्थापित किया जाता है। इसकी नीलामी की जानी चाहिए या सरकार इसे आवंटित करे इस मसले पर बीते कुछ वर्षों से बहस छिड़ी हुई है। लेकिन, दूरसंचार अधिनियम करेगा। एक सूत्र ने कहा, 'आवंटन 2023 में सैटेलाइट आधारित ्र उन्होंने कहा कि पिछले साल की पद्धति के अलावा, टीओआर में सेवाओं को उन 19 क्षेत्रों की सूची में शामिल किया गया था जहां केंद्रो को प्रशासनिक रूप से आवंटित सरक्षा के संबंध में उपग्रह ऑपरेटरों स्पेक्ट्रम का अधिकार है। इस तरह आलोक में भारतीय दूरसंचार द्वारा पूरी की जाने वाली नियम और वह बहस भी खत्म हो गई जिसने दुरसंचार उद्योग को बांटा था।

नई परियोजनाओं के लिए निजी ऋण पर ध्यान देगा उद्योग

मुंबई, 24 अप्रैल

पीडब्ल्युसी इंडिया के वरिष्ठ अ धिकारियों का कहना है कि निजी ऋण भारत में परियोजनाओं के वित्त पोषण के मुख्य स्त्रोत के तौर पर तेजी से उभर रहा है। कई उद्यमी इक्विटी घटाने के लिए मूल्यांकन अंतर की वजह से धन की कमी के लिए अल्पावधि ऋण विकल्पों पर ध्यान

भारत में निजी इक्विटी निवेश में रुझानों के बारे में अधिकारियों का कहना है कि पिछले दो वर्षों में नया

निकासी भी देखी गई। पीई फंड निवेशकों को तरलता मुहैया कराने के लिए कई कंपनियों के निकट भविष्य में पूंजी बाजारों को टटोलने की संभावना है। पीडब्ल्यूसी इंडिया में पार्टनर ऐंड लीडर (प्राइवेट इ क्विटी ऐंड डील्स) भविन शाह ने कहा, 'हमने देखा है कि निजी ऋण के लिए मांग में इजाफा हुआ है। कई बड़े क्रेडिट फंडों ने भारतीय कंपनियों में (दबाव से जुझ रही कंपनियों के अलावा अच्छा प्रदर्शन करने वाले ऋण क्षेत्र दोनों में) अरबों डॉलर का निवेश शुरू कर दिया है।'

निजी इक्विटी कंपनियों द्वारा पेश निजी ऋण अन्य संगठित ऋणों के मकाबले थोडी सी ज्यादा ब्याज दर पर दिया जाता है। निजी क्रेडिट कंपनियां अपने वैश्विक अनुभव के साथ उद्यमियों की मदद करती हैं। भारत में निजी इक्विटी निवेश की राह में एक बड़ी समस्या कर से जुड़ी अनिश्चितता है। शाह ने कहा, 'हालांकि भारत सरकार देश की कर प्रणाली में अधिक स्पष्टता लाने के लिए सक्रिय प्रयास कर रही

निजी इक्विटी निवेश घटा है। इस है, फिर भी हम देख रहे हैं कि कई दौरान कई बाजार से पीई की निजी इक्विटी फंडों को निपट चुके मुद्दों पर आयकर नोटिस मिल रहे

पीडब्ल्युसी में वैश्विक प्रमुख (निजी इक्विटी) एरिक जैनसन ने कहा, 'यह भारत का दशक होगा और दुनियाभर से निजी इक्विटी निवेशक देश में निवेश करने की योजना बना रहे हैं।' पीडब्ल्यूसी इंडिया के अनुसार 2021 सर्वा धिक निवेश वाला वर्ष था जिसमें भारतीय कंपनियों में बड़ा योगदान निजी पूंजी का रहा। इससे शुरुआती निवेशकों को बड़ी संख्या में बाहर निकलने में मदद मिली। पिछले साल भी सार्वजनिक बाजार में बिक्री के माध्यम से रिकॉर्ड निकासी देखी गई। सौदों की मात्रा वर्ष 2022 के 35 प्रतिशत की तुलना में 2023 में बढ़कर 51 प्रतिशत तक पहुंच गई।

कैलेंडर वर्ष 2022 और 2023 में बड़े आकार के बिकवाली वाले सौदों का आकार 2 करोड़ डॉलर से ज्यादा रहा जो काफी हद तक सार्वजनिक बाजार की बिक्री और अन्य महत्वपूर्ण बिक्री के बल पर हुआ।

गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में पूनावाना हाउसिंग फार्कीय लिमिटेड के रूप में भीमात) 602, ह्वयां तल, नीचे वन मार्रटी पार्ज, सीरि. नं. 79/1, पोरपाड़ी, मुंबवा रोड, पुणे-411036

बिक, अचोहस्ताक्षरकर्ता ने गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात क्योंकि 17 नवंबर 2023 से प्रमावी होकर पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का नाम गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के उपने अभिज्ञात तथा मूलत जीई मनी हाउसिंग फाइनेंस पिलेक कंपनी के नाम से निर्मामुका, (यहां इसमें इसके उपरांत उपरोक्त निर्माम्देत ग्रेजोक्त कार्यात्व के फ्रांत्र के प्रमान के किए में हितारी अधिकार के किए में हितारी प्रमान के हितार (यहांने निर्माम की प्रमान के हितार प्रमान के हितार के किए में हितारी प्रमान के हितार के किए में हितारी प्रमान के हितार के किए में हितार के किए में हितारी के अपने किए में हितार के किए में त्त का । दबसा क अदर आतभुगतान करने को कहा गया था।
उधारकतींगण निर्धारित काया राषि का प्रित्न गरी कहा सुक्त हैं, अतएव एतदद्वारा उधारकतींओं एवं जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताधरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित सम्पत्ति का, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि
के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त पवित्यों के प्रयोगानगंत, 20 वर्षीत 2024 की व्यविद्याल प्रवार हिंदा
छात्रक्तीओं को विषय रूप में तथा जनसाधारण को एतद्वादा सामान्य रूप में साधाना किया जाता है कि सम्पत्ति को तन्त ने के साधा पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त पवित्यों का प्रवार के साधाना के प्रयोगानगंत, 20 वर्षीत 2024 की व्यविद्याल दिवा है।
उद्यार किया प्रवार साधाना को प्रतिद्वादा सामान्य रूप में साधाना निक्ष जाता है कि सम्पत्ति को तन्त न के तथा सम्पत्ति को कोई व किसी भी प्रकार का लेन-देन, निर्धारित ककाया राशि तथा राशि एर नियत व्याज हेतु प्रतिभूत
ऋणदाता के प्रमाराधीन होगा। उधारकर्ता का ध्यान, प्रतिभूत परिसंपत्तियों को घुडवाने के लिए उपलब्ध समय के संदर्ग में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है। अधिग्रहण में ली गयी संपत्ति के विवरण यहां
इसमें निन्म प्रदक्ति तालिका में प्रस्तुतानुसार हैं :

उधारकर्ताओं के नाम सैयद खस, नं 361/1/2, 362 पर स्थित आवासीय भखंड सं, 33 के समस्त वह भाग तथा अंश जो वार्ड नंबर 85 ऋण संख्या HF/0197/H/21/100143 रू. 10.26.903/-पर, श्री बालाजी धाम फेस 2 ग्राम समस्या कियासोत विकास खंड फनाडा तहसील हुजूर जिला भोपाल मध्य प्रदेश, अधिमापन 720 वर्ग फुट, होशंगाबाद रोड मध्य प्रदेश, पिन कोड :--462046 में स्थित तथा निमानुसार परिसीमित है :- पूर्व- प्लॉट नंबर 34, पश्चिम- प्लॉट नंबर 32, उत्तर- अन्य भूमि, दक्षिण- सड़क 12 फुट। (रुपये दस लाख छब्बीस हजार नौ सौ तीन माः 08/12/2022 के अनुसार भुगतानयोग्य साथ में वसूलीकर तक 14 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सहित। हस्ता./- प्राचिकृत अधिकारी, गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात)

RUCHIKA CHITRAVANSHI AND ΙΝΟΙVΙΔΙ ΟΗΔ\$ΜΔΝΔ New Delhi, 24 April

he Bharatiya Janata Party, which leads the ruling coalition at the Centre, has promised steps to facilitate fiscal autonomy for panchayati raj institutions (PRIs) and to ensure their sustainability in its manifesto for the ongoing Lok Sabha elections.

The Congress Party, the principal opposition, in its manifesto pats itself on the back for the 73rd amendment - coming into effect in April 1993, it empowered the state governments to formalise gram panchayats and help them operate as units of self-governance - and vows to prevail upon the states to implement those provisions in letter and spirit, and also to devolve funds, functions, and functionaries upon these institutions.

The Congress also promises to build a consensus on transferring some items from the Concurrent List to the State List under the seventh schedule of the Constitution. The Concurrent List has 52 items, such as criminal laws and procedures, education, marriage laws, transfer of property other than agricultural land, trust and trustees, forests, protection of wild animals and birds. Both the Centre and states can make laws on these, but, in case of a clash, the Union government prevails.

In a nutshell, both major parties have promised more resources to PRIs although wording it differently. Both manifestos must be seen in the context of the current

Currently, PRIs depend heavily on grants from the Centre and states. The grants come on the recommendations of the Union Finance Commission and state finance commissions, under specific schemes. The own tax revenues of panchayats are generated by imposing local taxes, such as property tax, land revenue. building tax, and professional and trade taxes. Own non-tax revenues are fees and charges on activities.

Own tax revenues constituted just 1 per cent of

Opinion,

Insight Out

FUNCTION, FUNCTIONARY, Are BJP and Congress serious about giving fiscal autonomy to

devolution? Can they be given

more powers to impose taxes?

Commission, Montek Singh

Ahluwalia, suggests devolving

prescribes keeping part of the

"It means giving money

down to the panchayat level.

 $providing \, power \, to \, spend \, this$

money. Panchayats should be

able to control the money they

Central taxes aside for these

institutions and sharing the

rest between the Union

government and states.

But this has to be

accompanied by also

spend. The devolution

therefore has to be of all the

three Fs: Function, function-

Deputy chairman of the

Central taxes to PRIs. He

erstwhile Planning

Real power

panchayats?



their revenue receipts for the three years till 2022-23, according to a report by the Reserve Bank of India on PRI finances: non-tax revenues accounted for a bit more than

It is grants that bring in an overwhelming portion of PRI resources: More than 95 per cent of their revenue receipts during 2020-21, 2021-22, and 2022-23. Of this, grants from the Centre were 77-80 per cent. State grants contributed 15-18 per cent. During these years, PRIs' revenue receipts constituted barely 0.13 to 0.21 per cent of the size of India's economy.

So, the questions arise: How can greater funds be routed to PRIs? How can they be made part of the Central tax aries, and finances," he says.

If a teacher is hired by the Central government but her salary is paid by the panchayat through the amount devolved, Ahluwalia says it may not count as devolution, because theteacherknowsthe panchayat does not have the power to hire and fire. The ability to hire must be delegated to panchayats, so they have some executive power.

"India has the lowest decentralisation of finance among the emerging economies. In China, 50 per cent of what is spent at the district level is at the discretion of the district authority. It has also helped them produce good quality politicians," Ahluwalia points out.

Govinda Rao, member of the 14th Finance Commission and a fiscal expert, does not think either the BJP or Congress has fully grasped the real issue in their manifestos. Item number five of the State List, he says, lays down that the responsibility of the local self government is with the state.

The 73rd amendment, carried out by the Congress government, introduced the 11th schedule of the Constitution, which has 29 items, including agriculture, land improvement, minor irrigation, and animal husbandry which the state government may devolve to PRIs. Rao says it is up to the state government to devolve all or none of these functions to PRIs. The state may also devolve some other functions to these institutions.

Pointing out the lack of clarity, he says: "Each state government devolves whatever it likes.'

There is no tax power given to PRIs under Schedule 11, even though state governments have traditionally been asking panchayats to levy some taxes and fees. Even there, whatever changes panchayats want to make in these taxes have to be approved by the state government, says Rao.

"When there is no clarity in their (panchayats') tax powers, there is no clarity in their expenditure functions, and there is no linkage between revenue and expenditure decisions, the basic principle of fiscal decentralisation is violated," he says.

If political parties want to give fiscal autonomy to PRIs, they have to amend the Constitution and take it out of the state schedule and create a separate schedule for local bodies, Rao says, The local body that wants to deliver more public services has to raise taxes from its people.

"It is not that the national taxpayer will pay for their problem. I call it a birth defect of the 73rd amendment." Rao

Concurrent to State

The Congress manifesto says the party, if voted to power, will review the distribution of legislative fields in the Seventh Schedule of the Constitution and build a consensus on transferring some fields from List III (Concurrent List) to List II (State List).

PDT Achary, former secretary general of the Lok Sabha secretariat, says the Congress should have specified which areas would be transferred to the State List from Concurrent. "Without specifying, you are neither here nor there," he says.

Topicality, he says, suggests that education should be transferred from Concurrent to State. Similarly, family laws, such as those relating to marriage and divorce, adoption, and wills, should be transferred to the State list due to the talk of a uniform civil code, which the BJP manifesto promises.

Any bill to transfer items from one list to the other must

THE GRASSROOTS NUMBERS

NUMBER OF As on Dec 31, PANCHAYATS 2022

0wn tax

0wn non-

255,623 Village panchayats

6.697 Intermediate panchavats

33,123

665 District panchayats

41.744

2020-21

37,971

2021-22

35,354

2022-2

Total revenue

2020-2


2,320

2021-22


2,123

2022-2

receipts



Grants from



Grants from

VEV DATIOC ()			
KEY RATIOS (%)	2020-21	2021-22	2022-23
■ Own tax revenue to total revenue receipts	1.1	1.0	1.0
■ 0wn non-tax revenue to total revenue receipts	3.2	3.1	3.4
■ Grants from the Centre to revenue receipts	77.5	79.6	79.8
■ Grants from the states to revenue receipts	17.8	15.8	15.4
■Total grants-in-aid to revenue receipts	95.7	95.7	95.5
■ Total revenue receipts to GDP at current prices	0.21	0.16	0.13
■ Expenditure to GDP at current prices	0.13	0.1	0.08
Soruce: PRI report on finances of panchayati rai institutions			

be passed by half of the total strength of each House in Parliament and two-thirds of those present and voting. Besides, half of the states need to give their assent.

Rao questions the point of shifting items from Concurrent to State.

"You have functions in the State List. But if you start a centrally-sponsored scheme (CSS) for areas covered in the State list, the Union government intrudes into the state list," he points out, and

recalls that it was found by the 14th Finance Commission that the Union

government's revenue spend on the State List items during 2002-05 and 2005-11 increased from an average of 14 per cent of its total revenue expenditure to 20 per cent and on the Concurrent List $subjects\,from\,an\,average\,of\,13$

per cent to 17 per cent. "What purpose will it serve to transfer more functions to the states when the Centre can start CSS on them and ask

states to do what they want?' he wonders.

More centrally-sponsored schemes would mean more centralisation of power in the hands of the Centre.

Ahluwalia says moving items from the Concurrent to State List will prevent the Centre from interfering, but it is not enough. "The key issue is that the functional devolution must be followed by the devolution of both finance and $control\, of \, function ari est \, o \, the$ lower level," he says.

APPOINTMENTS

Required -Wholetime **Company Secretary**

TD Toll Road Private Limited having registered office in Mumbai and Undergoing CIRP under Insolvency and Bankruptcy Code, 2016, invites applications for one post of Company Secretary at Mumbai on a full time basis

 Candidate must be a qualified CS and Member of th Institute of Company Secretaries of India. Remuneration negotiable. Application along with all

supporting documents should be sent to CIRP.TDTOLL@GMAIL.COM on or before 30-04-2024.

Place : Chennai S. Rajendrar Date : 25.04.2024 Resolution Professiona IBBI Regn. No. IBBI/IPA-002/IP-N00098/2017 18/10241 Authorisation for Assignment valid till 22.11.2024

ESSAR

INTERNATIONAL COMPETITIVE BIDDING

The 1200 MW Essar Power Gujarat Limited (EPGL) is one of Essar Power's key assets. Essar power is one the of India's first private sector player inviting international bidding for the following supply and installation at its existing EPGL - 1200 MW Thermal Power Plant at Salaya Jamnagar (Gujarat) India.

Location	Supply & Installation	Tender Number	Closure Date	
Essar Power	Flue Gas	EPGL/SAL/760-	20.05.2024	
Gujarat Limited,	Desulphurization	MET/0424-		
Salaya, Jamnagar,	System (Wet	02/397963		
Gujarat, India	Limestone Based)			

For details Interested parties may visit: https://sourcing.essar.com/E_Tender Corporate office:- Essar House 11, K K Marg, Mahalxmi Mumbai – 400034, India. **Tel.:** +91 22 6660 1100

TATA CAPITAL LIMITED 11th Floor, Tower A, Peninsula Business Park, Senapati Bapat Marg, TATA Lower Parel, Mumbai 400 013.

DEMAND NOTICE UNDER Sec 13(2) OF THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002. Whereas, vide Order dated 24th November 2023, the National Company Law Tribunal (NCL

Mumbai has duly sanctioned the Scheme of Arrangement between Tata Capital Financial Service: Limited ("TCFSL") as transferor and Tata Capital Limited ("TCL") as transferee under the provisions of Sections 230 to 232 r/w Section 66 and other applicable provisions of the Companie Act, 2013 ("said Scheme"). In terms thereof, TCFSL (Transferor Company) along with it Undertaking have merged with (the Transferoe Company) Effective Date i.e. 1st January,2024. Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of the Tata Capital Ltd. under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Ac 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(2) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, has issued a **Demand Notice** as below calling upon the Borrowers/Co-borrowers/Obligors to repay the amount mentioned in the notice together with further interest applicable thereon more particularly mentioned in the respective demand notice within 60 days from the date of the said notice. If the said Borrowers/Co-borrowers/Obligors fails to witinin ou days from the date of the said notice. If the said borrowers/Lo-borrowers/Lobigors tails to make payments to Tata Capital Ltd. (TCL) as afforesaid, then TCL shall proceed against th secured asset(s)/Immovable property(ies) under Section 13(4) of the said act and the applicable rules entirely at the risk of the said Borrowers/Co-borrowers/Obligors as to the costs and consequences. The said Borrowers/Co-borrowers/Obligors are barred from transferring the consequences. The said bollowers/co-bollowers/conjugits are barled into that arising the secured asset or creating any interest or rights by way of tenancy or license or any other rights whatsoever, in or over the secured asset, or otherwise dealing with the secured assets in any manner whatsoever to the prejudice of the interest of us, without obtaining our prior written consen and the same is also prohibited under sub-section (13) of section 13 of the said Act. It may also b noted that as per Section 29 of the Act, if any person contravenes or attempts to contravene o abets the contravention of the provisions of this Act or rules made there under, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine, or with both he said Borrowers/Co-borrowers/Obligors kind attention is invited to provisions of sub-Section (8) of Section 13 of the SARFAESI Act where under you can tender the entire amount o outstanding dues together with all costs, charges and expenses incurred by the TCL only till the date of publication of the notice for sale of the secured asset(s) by public auction, by inviting quotations, tender from public or by private treaty. Please also note that if the entire amount o outstanding dues together with the costs, charges and expenses incurred by the TCL is not endered before publication of notice for sale of the secured assets by public auction, by inviting quotations, tender from public or by private treaty, you may not be entitled to redeem the secured asset(s). Any person who intervenes or abets contravention of the provisions of the act or Rules

Loan	Name of Obligor(s)/Legal Heir(s)/	Amount of	NPA
A/c No.	Legal Representative(s)	Demand Notice	Date
7008796	1. Mr. Amitabh Krishadev Sharma, 2. Mrs. Vandana Amitabh Sharma, 3. Sonam Himanshu Sharma (Legal Heir of Late Mr. Himanshu Sharma (Legal Heir of Late Mr. Himanshu Amitabh Sharma), 4. Mmit Engineering Equipments - Through its proprietor Mr. Amitabh Krishadev Sharma having address at: 90, Gandhi Park, Radio Colony, Indore, Madhya-Pradesh - 452001, Also Add at Plot/House No. 82, New Plot No.91, Gandhi Park, Radio Colony, Indore, M.P. 452001	(Rs. One Crore Fifty Three Lakh Sixty One Thousand and Sixty Three Only) in Loan Account No. 7008796 as on 20-03-2024 Date of Demand	7th Novembe 2020

No.91), Gandhi Park, Radio Colony, Indore, Madhya-Pradesh - 452001 area admeasuring 1500 Sq. Ft along with Construction Standing thereon which is Bounded as On or Towards East: Colony Road, On or Towards West: Back Lane, On or Towards South: Plot/House No.83, On or Toward

Sd/- Authorised Office For Tata Capital Limited.

muthoot

MUTHOOT HOUSING FINANCE COMPANY LIMITED

Registered Office: TC NO.14/2074-7, Muthoot Centre, Punnen Road, Thiruvananthapuram - 695 034, CIN NO - U65922KL2010PLC025624 Corporate Office: 12/A 01, 13th floor, Parinee Crescenzo, Plot No. C38 & C39, Bandra Kurla Complex-G block (East), Mumbai-400051 TEL. NO: 022-62728517, Authorised Officer Email ID: authorised.officer@muthoot.com,

PUBLIC NOTICE – AUCTION CUM SALE OF PROPERTY

Sale Of Immovable Assets Under Securitization And Reconstruction Of Financial Assets & Enforcement Of Security Interest Act, 2002 exercise of powers contained in the Securitization and Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002, the Authorized ficer of the Muthoot Housing Finance Company Ltd., (hereinafter referred to as the "Company") has taken the possession of under mentioned properties (hereinafter referred to as "Secured Asset") and held as security in respect of HOUSING Loan facilities granted to below mentioned customers (hereinafte referred to as "Borrowers") and further it has been decided to sell the Secured Asset on "as is where is", "as is what is", "whatever there is" and "nerecourse" basis/conditions by inviting sealed tenders from public in respect of the secured debt amounting to amount in below with further interest and expenses thereon till final payment of the overdue from Borrowers.

Sr. No	Name of Borrower/s & LAN	Possession Type & Date	Total O/s Amount (Rs.) Future Interest Applicable	Reserve Price	EMD
1.	LAN No.: 18101093331 & 18101111041 1. Mohd Asif Alias Ashif Mohd Riyaz Alias Mo. Asif Mo. Riyaj, 2. Noorjahan Alias Nurajaha, 3. Mohd Riyaz Alias Mo. Riyaj, 4. Mohd Rashid, 5. Mazid Ansari (GUARANTOR)	Symbolic Possession -	Rs. 245889.37/- & Rs. 134947.26/- as on 17-April-2024	Rs. 16,00,000/-	Rs. 1,60,000/-

Description of Secured Asset(s) /Immovable Property (ies) - ALL THAT PART AND PARCEL OF THE PROPERTY BEARING KHASRA NO 78/1 AND 79/2/3, VILLAGE HINOTIYA KACHHIYAN, P.H. NO. 21, R.N.M. 2, VIKAS KHAND PHANDA, THE HUZUR, DISTRICT BHOPAL, MUNICIPIAL CORPORATION WARD NO.35. BHOPAL CITY. TOTAL AREA ADMEASURING IS 15 X 30 = 450 SOUARE FEET I.E. 41.82 SOUARE METERS ON WHICH THE HOUSE IS BUILT. BOUNDED BY : - EAST :- ROAD, WEST:- OTHER'S PROPERTY, NORTH:- PART OF PLOT NO 15, SOUTH:- PLOT NO 16 A

Inspection Date & Time: 09-May-2024 & 10-May-2024 at 10 00 AM to 05 00 PM Auction Date: 30-May-2024 10.00 AM to 03.00 PM & Last date for Submission of Bid: 29-May-2024 Place of Sale: Plot No. 61, Zone Ii, M P Nagar, Behind Axis Bank Loan Centre, Bhopal - 462011

ending bidders may inspect the properties on the date and time as mentioned above.

Terms & Conditions of public auction: 1)Sale is strictly subject to the terms and conditions mentioned hereunder as per extant guidelines under SARFAES Act, 2002 & also the terms and conditions mentioned in the offer/ tender document to be submitted by the intending bidders 2) The property will be sold or "As is where is" and "As is what is" "whatever there is" and "no recourse" condition, including encumbrances, if any. 3)The properties under auction can be inspected on the date & time specified above. For any queries with regards to inspection of properties or submission of tenders, kindly establish contact to The Authorised Officers at respective locations on above mention contact numbers. The interested buyers may send theirs offers for the above property in a sealed cover along with Demand Draft Payable at Mumbai favoring "Muthoot Housing Finance Company Limited", towards earnest money deposit (EMD) 10% of Reserve Price. 4)Along with offer documents, the intending bidder shall also attach a copy of the PAN card issued by the Income Tax department AND bidder's identity proof and the proof of residence such as copy of the Passport, Election Commission Card, Ration Card, Driving license etc. 5)In no eventuality the property would be sold below the reserve price. 6) The bidders present in the auction would be allowed to increase their offer multiples of Rs.10000/- in addition to Reserve Price fixed. 7) All dues and outgoings, i.e., Municipal Taxes, Maintenance / Society Charges, Electricity and water taxes or any other dues including Stamp Duty, Registration Charges, Transfer Charges and any other expenses and charges in respect of the registration of the Sale Certificate in respect of the said properties shall be paid by the successful bidder/purchaser. 8) The successful bidder/purchaser shall have to pay 25% of the final bid amount (after adjusting 10% of the E.M.D. already paid) within next working days from the acceptance of the offer by the Authorized Officer in respect of the sale, failing which, the earnest money deposit will be forfeited. 9) The balance 75% of the Sale price shall have to be paid within 15 days of conveying the sale, raining which, the carriest investigates are to the successful Purchaser by the Authorized Officer or such extended period as agreed upon in writing by and solely at the discretion of the Authorized Officer. 10) The Authorized Officer reserves his right to vary any of the terms and condition of this notice for sale, without prior notice, at his discretion. 11) The Authorized Officer reserves the right to reject any/all bids without assigning any reason. All the bids received from the prospective bidders shall be returned to them without any liability / claim against M/s Muthoot Housing Finance Company Ltd. 12) The borrower's attention is invited to the provisions of sub section 8 of section 13, of the SARFAESI Act, in respect of the time available, to redeem the secured asset.13) Public in general and rrower(s)/ mortgagor(s) in particular please take notice that if in case auction scheduled herein fails for any reason whatsoever then secured creditor may force security interest by way of sale through private treaty.

nforce security interest by way of sale through private treaty.

he borrower(s)/guarantor(s)/mortgagor(s) are hereby given STATUTORY 30 DAYS NOTICE UNDER RULE 8(6) & 9 of The Security Interest (Enforcement) Rules
of SARFAESI ACT. Borrower/s are also requested to remove their uncharged belongings from the property within 30 days' time else it will be removed from perty on their risk and cost.

Place: Madhya Pradesh, Date : 25-April-2024 Date: 25 April 2024, Place: Indore, Madhya Pradesh

पंजाब नेशनल बैंक punjab national bankभरोसे का प्रतीक ...the name you can BANK upon! (A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)

Zonal SASTRA Centre, 1st Floor, Bhikhaji Cama Place, New Delhi -110066, e-mail id: zs8343@pnb.co.in

SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES

AUTHORIZED OFFICER, PUNJAB NATIONAL BANK

Details of the

Sd/- Authorised Officer - For Muthoot Housing Finance Company Limited

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8 (6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described immovable properties mortgaged (charged to the Secured Creditor, the constructive Borrower(s) and Guarantor(s). The reserve price and the earnest money deposit will be as mentioned in the table below against the respective properties SCHEDULE OF SALE OF THE SECURED ASSETS

(A) Date of Demand Notice U/s 13(2) of

Name of the Branch Name of the Account Name and Addresses of the Borrower/Guarantors Account	Sarfesi Act 2002 (B)Amount as per Demand Notice (C) Possession Date u/s 13(4) of Sarfeasi Act 2002 (D) Nature of Possession Symbolic / Physical/ Constructive	Description of Immovable Properties	RESERVE PRICE EMD (Last date of deposit EMD) Bid Increase Amount	DATE/ TIME OF E-AUCTION	Name & Contact No. of Authorized Officer/ nodal Officer	encumbrances known to the secured creditors
M/s Pellet Energy Systems Pvt Ltd. 1. Khasra No 86/24, Vill- Ghevra, Hiren Kudna Modh, Delhi- 110081 2. Gatta No 373/1, 373/2, 374, 375, 375/1, Sikanderpur, Bhaiswal, Pargana, Bhagawanpur, Tehsil- Roorkee, Dist- Haridwar, Galgeria Road, Uttrakhand 3. Sh R K Garg, s/o sh P S Garg, F-1, U-46, Pitampura, Delhi- 110034 4. Smt Reena Gidwani w/o- Lt Sh H K Gidwani, 73, Triveni Apartment, Pitampura Delhi- 110034 4. Smt Reena Gidwani w/o- Lt Sh H K Gidwani, 73, Triveni Apartment, Pitampura Delhi- 110034 5. Mrs Shurit Sharma, w/o Mr Shailender Garg, F-1, U-46, Pitampura, Delhi- 110034 Also at- Property No-155, Anand Vihar, Near Rani Bagh, New Delhi- 110034 6. Sh Bharat Sharma s/o- Sh Yogender Dutt Sharma, 155, Anand Vihar, Near Rani Bagh, Pitampura, New Delhi- 110034 7. Mr Suresh Pannalal Jain, S/o- Sh Pannalal Jain, E-3/1:2, Sector -1, Vashi, Navi Mumbai- 400703 8. Devta Woolen Mills Pvt Ltd, 757, Rajpur Road, Dehradun, Uttrakhand, Pin-248001	A) 27.12.2016 B) Rs.30.65 Crore as on 30.11.2016 + further interest and Charges C) 18.01.2018 D) Symbolic Possession	Equitable Mortgage of Commercial Property at Najul Block No. 20, Southern Part of Plot No. 11, Ward no. 10, Suraj Marg, Pandhana Road, Khandwa measuring 506 Sq. Ft. in the name of Sh. Alok Sethi	B) Rs.6.50 Lakhs (04.06.2024) C)Rs.100000/-	07-06-2024 11:00 AM to 04:00 PM	Sh. Rakesh Kumar (Chief Manager) 9803020820	Not Known

10. Sh Alok Sethi S/O Sh Kamalchand Sethi, Opposite Dr Ubeja Prakash Hospital, Indore Road, Khandwa MP-450991 BRIEF TERMS AND CONDITIONS OF E-AUCTION SALE: The sale shall be subject to the Terms & Conditions prescribed in the Security Interest (Enforcement) Rules 2002 and to the following further conditions: (1) The properties are being sold on "AS IS WHERE IS BASIS" and "AS IS WHAT IS BASIS" and "WHATEVER THERE IS BASIS". (2) The secured asset will not be sold below the reserve price. The first bidding should start at any amount higher than Reserve Price. (3) The particulars of Secured Assets specified in the Schedule herein above stated to the best of the information of the Authorised Officer, but the Authorised Officer shall not be answerable for any error, mind the Authorised Officer, but the Authorised Officer shall not be answerable for any error, mind the Authorised Officer, but the Authorised Officer, but the Authorised Officer shall not be answerable for any error, mind the Authorised Officer, but the Authorised Officer, but the Authorised Officer shall not be answerable for any error, mind the Authorised Officer, but the Authorised Officer, but the Authorised Officer shall not be answerable for any error, mind the Authorised Officer shall not be answerable for any error, mind the Authorised Officer, but the Authorised Officer shall not be answerable for any error, mind the Authorised Officer shall not be answerable for any error, mind the Authorised Officer, but the Authorised Officer shall not be answerable for any error, mind the Authorised Officer shall not be answerable for any error, mind the Authorised Officer shall not be answerable for any error and the Authorised Officer shall not be any error and the Authorised Officer shall not be any error and the Authorised Officer shall not be any error and the Authorised Officer shall not be any error and the Authorised Officer shall not be any error and the Authorised Officer shall not be any error and the Authorised Officer shall not be any error and the Authorised Officer shall not be any error and the Authorised Officer shall not be any error and the Authorised Officer shall not be any error and the Authorised Officer shall not be any error and the Authorised Officer shall not be any error and the Authorised Officer shall not be any error and the Authorised Officer shall not be any error and the Authorised Officer shall not be any error and the Authorised Officer shall not be any error and the sale will be done through e-auction platform provided at the Website https://www.mstcecommerce.com, nttps://eprocure.gov.in/epublish/app. STATUTORY SALE NOTICE UNDER RULE 8(6) OF THE SARFAESI ACT, 2002

Date: 25-04-2024. Place: New Delhi

Name of the Branch



Opinion. **Monday to Saturday** To book your copy, sms reachbs to **57575** or email order@bsmail.in